फर्द अहकाम

नियम – 26

अज अदालत :–अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, संख्या 02, केकड़ी
प्र.सू.रि.सं. 23/25–26 आबकारी थाना नसीराबाद
नि.फौ.प्र.सं. 23/2026
सी.आई.एस. नं. 23/2026
सरकार बनाम पिंटू सिंह

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज.	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
08.01.2026	आबकारी थाना नसीराबाद की ओर से अभियोजन अधिकारी ने मुलजिम पिंटु सिंह पुत्र राम सिंह के विरुद्ध अपराध अंतर्गत धारा 19/54 रा.आ.अधि. के अपराध के आरोप में यह आरोप पत्र आज दिनांक 08.01.2026 को पेश किया गया है। कार्यालय रिपोर्ट देखी गयी। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज एवं साक्ष्य से मुलजिम के विरुद्ध उक्त धारा में प्रथमदृष्टया मामला बनना पाये जाने के पर्याप्त आधार पाये जाते हैं। अतः उक्त मुलजिम के विरुद्ध उक्त धारा में अपराध के आरोप का प्रसंज्ञान लिया जाता है। प्रकरण दर्ज रजिस्टर हो। अभियुक्त मय अधिवक्ता उपस्थित। नकल चालान दिलाई गई। तत्पश्चात्, अभियुक्त को उपरोक्त धारा के आरोप सारांश पृथक से विरचित कर सुनाए व समझाए गए तो अभियुक्त ने आरोप को सुन–समझकर आरोप को स्वीकार किया व जुर्म स्वीकारोक्ति का प्रार्थना पत्र पेश किया। नकल अभियोजन अधिकारी को दिलाई गई। अभियुक्त द्वारा की गई स्वेच्छा जुर्म स्वीकारोक्ति व पत्रावली के अवलोकन के बाद, अभियुक्त को उसके विरुद्ध आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 19/54 रा.आ.अधि. में दोषसिद्व किया जाता है। **सजा के प्रश्न पर सुना गयाः–** अधिवक्ता अभियुक्त का तर्क है कि अभियुक्त न्यायालय के समक्ष उपस्थित है व अपना जुर्म स्वीकार करता है। अभियुक्त पूर्व में दोषसिद्ध नहीं है। अतः निवेदन है कि उपरोक्त प्रकरण का निस्तारण आज ही किया जावे। इसके विपरीत, अभियोजन अधिकारी ने आपत्ति जाहिर करते हुए कथन किया कि अपराध स्वीकार कर लिए जाने पर भी	

	अभियुक्त को कम सजा दिया जाना लोक निति के विरुद्ध है। अपने कथनों के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत उत्तर प्रदेश राज्य बनाम चंद्रिका प्रसाद AIR 2000 SC 164 पेश किया गया। अतः निवेदन है कि अभियुक्त को कठोर दंड से दंडित किया जावे। उभय पक्ष के तर्कों पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत का ससम्मान अवलोकन कर मार्गदर्शन प्राप्त किया गया। अभियुक्त की दोषसिद्धि के संबंध में पत्रावली पर कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है और अभियुक्त ने पूर्व में दोषसिद्ध नहीं होने बाबत् स्वयं का शपथ पत्र पेश किया है। अतः प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए अभियुक्त को परिवीक्षा का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। **आदेश** अतः अभियुक्त पिंटु सिंह को धारा 19/54 रा.आ.अधि. के अपराध में दोषसिद्ध करते हुए आदेश दिया जाता है कि वह धारा 4 परिवीक्षा अधिनियम के तहत दस हजार रुपये के जमानत मुचलके एक वर्ष की अवधि के लिए पेश कर तस्दीक करावे कि वह इस अवधि में पुनः अपराध नहीं करेगा व शांति एवं सदाचार बनाये रखेगा तथा न्यायालय द्वारा बुलाये जाने पर स्वयं के खर्चे पर सजा भुगतने के लिए उपस्थित होगा तथा साथ ही धारा 5 परिवीक्षा अधिनियम के तहत अभियुक्त 300/– रुपये अभियोजन व्यय के रूप में न्यायालय में जमा करवाएगा। अभियुक्त को परीविक्षा अधिनियम की धारा 12 का लाभ दिया जाता है, जिसके तहत इस दोषसिद्धि का उसके भविष्य पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा। आदेशानुसार परिवीक्षा अधिनियम के तहत जमानत मुचलके पेश किये गये, जिन्हें बाद जांच तस्दीक किए गए व अभियोजन व्यय 300/– रुपये जमा करवाये गये, जिसे जरिये रसीद/ई–चालान संख्या FRJAJ1420263558L जमा किए गए। अभियुक्ता परिविक्षा पर रिहा रहे। प्रकरण में अन्य कोई कार्यवाही शेष नहीं है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।	